रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1979/श्रावण 10, 1901

No. 314] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1979/SRAVANA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1979

का०आ० 445 (अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश सं० का०आ० 483 (अ), तारीख 2 अगस्त, 1978 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, "सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), हैदराबाद," शब्दों के स्थान पर "सीमा-शुल्क कलक्टर (अपील), मुम्बई" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 3/79 फा०सं० 131/15/79-जी सी II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st August 1979

S. O. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 80 of the Gold (Control) Act, 1968, the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Order No. S.O. 483(E), dated the 2nd August, 1978, namely :—

In the said Order, for the words "Appellate Collector of Customs and Central Excise, Hyderabad," the words "Appellate Collector of Customs, Bombay" shall be substituted.

[No. 3/79 F. No. 131/15/79-GC.II]

अधिसूचना

का०आ० 446 (अ).—केन्द्रीय सरकार स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 के (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में, शीर्षक और उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रमाणपत्र दिए जाने और अनुज्ञप्ति या उसका नवीकरण जारी किए जाने के लिए आवेदन तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की बाबत संदेय फीस—

(1) धारा 39 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप सं० जी० एस० 4 में होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 10 में,—

(क) "या प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "जारी करना, नवीकृत करना या अनुदत्त करना" शब्दों के स्थान पर "जारी करना या नवीकृत करना" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के परिशिष्ट में "प्ररूप सं० जी० एस० 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप सं० जी० एस० 4
[नियम 6(1) देखिए]

आवेदन प्राप्ति की तारीख.....

स्वर्णकार के रूप में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

(जो अक्षर, शब्द या पैरा लागू न होते हों उन्हें काट दें)

सेवा में,

महोदय,

मैं, (साफ अक्षरों में).....जिसकी आयु.....है

(उप नाम पहले लिखिए)

तथा जो.....का पुत्र और निवासी हूं, अनुरोध करता हूं की मुझे स्वर्णकार के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए एक प्रमाणपत्र दिया जाए।

2. मैं स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) और उसके अधीन बनाए गए या जारी किए गए नियमों, आदेशों और निदेशों का तथा उस प्रमाणपत्र के, जो मुझे दिया जाएगा, निबंधनों और शर्तों का पालन करने का करार करता हूं।

3. मैं तारीख 10 जनवरी, 1963 से ठीक पूर्व एक वर्ष से अधिक समय से स्वर्णकार के रूप में कारबार करता आ रहा हूं।

या

मैं, श्री.....के, जो प्रमाणपत्र सं० .... के धारक हैं, कुटुम्ब का सदस्य हूं और..... से स्वर्णकार के रूप में उनके कार्य में उनकी सहायता करता रहा हूं।

या

मैं, ...के निवासी श्री .....के जिनका व्यवहारी अनुज्ञप्ति सं०.....है, कारीगर के रूप में कार्य करता आ रहा हूं और मैंने कारीगर के रूप में अपना पहचान पत्र अभ्यर्पित कर दिया है।

या

मैं प्रमाणित स्वर्णकार/कारीगर की संतान हूं और अप्राप्तवय नहीं हूं मैं ऐसा प्रत्यावसित हूं जो स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित व्यवहारी था।

या

मैं, श्री.....के जो प्रमाणित स्वर्णकार हैं और प्रमाणपत्र सं०.....धारण करते हैं, अधीन.....से शिक्षु रहा हूं और इस बाबत एक प्रमाणपत्र संलग्न कर रहा हूं कि मेरे पास स्वर्णकार के लिए आवश्यक कार्य-कौशल है।

4. मैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश सं० का०आ० 92(अ), तारीख 14 फरवरी, 1978 के अधीन आभूषणों के अनुज्ञात विक्रय और क्रय की रियायत प्राप्त करना चाहता हूं और मैं..... (परिसर का पूरा पता) पर कार्य करूंगा।

5. मैं अपने (पास पोर्ट आकार के) फोटो की दो प्रतियां संलग्न कर रहा हूं।

6. मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

पता..... आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख..... या अंगूठा निशानी

सरकारी प्रयोग के लिए

समुचित अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं।
पत्र जारी/नामंजूर कर दिया जाए।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

जारी किए गए प्रमाणपत्र का सं०.....

जारी करने की तारीख.....

[सं० 4/79 फा० सं० 145/63/77 जीसी II]
मा० रामचन्द्रन, अपर सचिव

Notification

S. O. 446(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 5 of the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), for the heading and sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"Application for grant of certificate and for the issue or renewal of licence and fee payable in respect of such licence.—(1) Every application for the grant of a certificate referred to in section 39 shall be in FORM No. G.S.4."

3. In rule 10 of the said rules,—

(a) the words "or for the grant of a certificate" shall be omitted;

(b) for the words "issue, renewal or grant", the words "issue or renewal" shall be substituted.

4. In the Appendix to the said rules, for FORM No. G.S. 4, the following Form shall be substituted, namely :—

"Form No. G.S.4

[See rule 5(1)]

Date of receipt of application.....

Application for certificate as Goldsmith

(Delete the letters, words or paragraphs not applicable)

To

The.....

.....

Sir,

I (Block letters).....

(Surname First)

aged.....son of..... .....

residing at.....

request that I may be granted a Certificate recognising me as a goldsmith.

2. I agree to abide by the provisions of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) and the rules, orders and directions made or issued thereunder and the terms and conditions of the Certificate which may be granted.

3. I have been carryling on business as a goldsmith for more than a year immediately before the 10th January, 1963.

OR

I am a member of the family of Shri..... who holds a Certificate No.....and have been assisting him in his work as a goldsmith since..... .....

OR

I have been working as an artisan of Shri..... of.....whose dealer's licence No. is.....and I have surrendered my identity card as artisan.

OR

I am a child of a certified goldsmith/artisan and not a minor/ I am a repatriate who was a dealer as defined in clause (h) of section 2 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968).

OR

I have been an apprentice since.....under Shri....., a certified goldsmith holding Certificate No.....and enclose a certificate showing possession of necessary skill of a goldsmith.

4. I intend to avail of the concession of sale and purchase of ornaments allowed under Order of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 92(E), dated the 14th February, 1978 and that I will work in the premises at.....(complete address).

5. I append two copies of my photographs (passport size).

6. I hereby declare that the information furnished above is true and complete to the best of my knowledge and belief.

Address..... Signature or thumb impresion of the applicant.

Date.....

For Official Use

Orders passed by the proper officer.

Certificate be issued/rejected.

Signature.....

Designation.....

Date.....

No. of the Certificate issued.....

Date of issue....."

[No. 4/79 F. No. 145/63/77-GCII]

M. RAMACHANDRAN, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979